न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 4351/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 1457/2026

CNR No-UPGZ010093922026

नितिन पुत्र सतवीर निवासी ग्राम गढी मेढू थाना उस्मानपुर खजूरी खास दिल्ली 110053

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 462/2025

धारा 109(1),61(2) BNS

थाना अंकुर विहार, गाजियाबाद।

04-08-2026

1- यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **नितिन** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार दिनेश का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3- अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 25-12-2025 को वादी अपने ग्राम अगरौला से दिल्ली किसी काम से गया था। वापस आते समय में सभापुर शिवा वाशिंग सेंटर में गाडी वाश कराने रूका था। गाडी से निकलकर बाहर कुर्सी पर बैठ गया। थोडी देर बाद अचानक से लगभग दोपहर 3.30 बजे उसके सामने तीन अपराधी आए और उन्होने उस पर ताबडतोड गोलियां बरसायी, गोली चलाने वाले दीपक व मदन का भाई छोटा राजे उर्फ मुन्ना है। दुसरा व्यक्ति जिसे वह चेहरे से जानता है। देखकर पहचान लेगा। तीसरा लड़का जिसको वह नहीं जानता, अन्य लोग गाडी में थे। दीपक, मदन, राजे उर्फ मुन्ना पिछले कई वर्ष से जान से मारने के लिये पडे हैं। इन्होने उसके दो चाचा की हत्या की है और कई बार उसके व परिवार के लोगो की हत्या की कोशिश की है। इन्होने उस पर ताबडतोड फायरिंग की है जिसमें उसके दोनो हाथो में गोली लगी हैं और एक पैर में गोली लगी हैं और इन्होने उसके सिर पर पिस्टल लगाकर चार पांच गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चल पाई, इन्होने उसके सिर में पिस्टल की बट मारी। फिर उसने भागकर शिवा सर्विस सेंटर में जाकर रूम में गेट लगाकर जान बचाई।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारो का वर्णन करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई हैं, परन्तु

विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया हैं। अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम, हुलिया अथवा कोई भूमिका अंकित नहीं की गयी है। वादी मुकदमा एवं पुलिस द्वारा सांठ गांठ कर झूठे व गलत तथ्यो के आधार पर अभियुक्त का नाम बाद अभियोग में संलिप्त दिखाकर उसे जेल भेजा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं दर्शाया गया हैं। अभियुक्त का नाम सह अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। सह अभियुक्त का बयान स्वयं में स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य नहीं है। कथित फायरिंग के बावजूद मेडीकल रिपोर्ट में किसी भी वायटल पार्ट पर कोई गोली अथवा गम्भीर चोट नहीं पायी गयी है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरो की रिर्काडिंग का निष्पक्ष परीक्षण नहीं किया गया हैं। अभियुक्त के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर मुकदमें से सम्बन्धित कोई बरामदगी नहीं हुई हैं। अभियुक्त दिनांक 30–07–2026 से कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत देने को तैयार है। इस स्तर पर जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की हत्या करने के प्रयत्न में हमला किया गया हैं। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। सह अभियुक्त अंकित उर्फ राजे की जमानत निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त का कृत्य भी सह अभियुक्त के समान हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्त पर मुकदमा अपराध संख्या 606/2020 अन्तर्गत धारा 323,341,336,506,34 भा०द०सं० व धारा 25/27 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या 86/2018 धारा 392,34 भा०द०सं०, मुकदमा अपराध संख्या 224/2020 अन्तर्गत धारा 392,397,120B भा०द०सं० व मुकदमा अपराध संख्या 290/2020 धारा 25/54/59 एआरएमएस एक्ट पंजीकृत हैं।

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– मैने, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

8– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा शिवा सर्विस सेंटर पर गाडी को वॉस करा रहा था तभी सह अभियुक्तगण आए और वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जिससे गोली उसके हाथ व पैर में लगी तथा पिस्टल सिर पर रखकर गोली चलाने का प्रयास किया, परन्तु गोली मिस होने पर पिस्टल की बट से सिर पर हमला किया जाना अभिकथित किया है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा/मजरूब ने अपने बयान धारा 180 BNSS में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया हैं कि उसके गांव के रहने वाले दीपक अगरौला, मदन व उनका छोटा भाई राजे उर्फ मुन्ना उसके परिवार से रंजिश रखते है। इसी रंजिश के कारण उसके परिवार के दो लोगो की दीपक व मदन एवं उसके परिवार के लोगो ने मिलकर हत्या कर दी थी जिस कारण दीपक व मदन जेल में निरूद्ध हैं। उनका छोटा भाई राजे उर्फ मुन्ना उनसे मिलने जेल में जाता हैं और वहीं पर ये लोग षडयंत्र करते हैं और

आये दिन उस पर हमला करते हैं। दिनांक 25–12–2025 को वादी सभापुर शिवा वाशिंग सेंटर पर गाडी वाश कराने रूका था तथा गाडी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठा। थोडी देर बाद करीब दोपहर 3.30 बजे राजे उर्फ मुन्ना व उसके साथ कुछ अन्य लोग थे, आए और उन्होने ताबडतोड उसके ऊपर गोली चलाई जिससे दो गोली उसके हाथो में लगी व एक गोली पैर में लगी। इन्होने सिर पर पिस्टल लगाकर चार पांच गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली, तब सिर पर पिस्टल की बट से कई बार मारा। सह अभियुक्तगण व अन्य लोग वादी को जान से मारने की फिराक में रहते हैं। सह अभियुक्त संजीत ने अपने इकबालिया बयान में कथन किया है कि दिनांक 25–12–2025 के सभापुर अंडरपास के पास मुकुल बंसल को गोली मारने के लिये मुन्ना उर्फ राजे के कहने पर दीपक गैराठी ने ही उसे व आकाश, विक्की, मानसिंह राघव, नितिन पहलवान, रविन्द्र पहलवान, बिल्लू पहलवान व कल्लू को भेजा था। इस प्रकार सह अभियुक्त संजीत द्वारा अभियुक्त को कथित घटना में शामिल होना कहा गया है। मजरूब मुकुल बंसल की चिकित्सीय आख्या में उसके दाहिने हाथ में घाव होने व बुलट फंसी होने का उल्लेख किया गया हैं। मजरूब मुकुल बंसल की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक द्वारा अपने बयान धारा 180 BNSS में मजरूब के दाहिने हाथ में घाव होने, उसका इलाज करने एवं उसमें फंसी बुलेट को निकालना कहा गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अभी विवेचना प्रचलित हैं और साक्ष्य का संकलित किया जाना अवशेष है। ऐसी दशा में अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

9– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नितिन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता हैं।

दिनांकः 04–08–2026

(ललिता गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।